

26/9/25

पत्तावली पेश हुई पत्तावली का
फुलफुलन बिना गणना वाली पत्रों को
तलबी पेश करने हेतु पर्याप्त
अवलोकन किया जा चुका है। पत्रों
आदिनांक तक तलबी नहीं कलायी। ऐसी
स्थिति में पत्तावली आदेश 9 नियम
5 सीपीसी के तहत इलीस्ट पर
खारिज की जाती है। पत्तावली नम्बर
है कम होकर दाखिल दफ्तार है।

(हस्ताक्षर)